# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-68RAAJodhpur2022-22RTA223 Gulam Rasul ors Vs Satar Khan etc

01. गुलाम रसुल पुत्र मोहम्मद खां
02. रईश दीन पुत्र मोहम्मद खां
03. जमालदीन पुत्र मोहम्मद खां
04. रमजे खां पुत्र मोहम्मद खां
05. अजमतुल्ला पुत्र मोहम्मद खां
सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- घटोर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

**अपीलाण्ट्स ...**

**ब**

**ना**

**म**

1. सतार खां पुत्र बच्चू खां
2. रमजान खां पुत्र बच्चू खां
3. सरादीन पुत्र बच्चू खां
4. मोहम्मद इस्माईल पुत्र बच्चू खां
5. हुमारदीन पुत्र बच्चू खां
6. सिकन्दर पुत्र बच्चू खां
7. हतु पुत्री बच्चू खां
8. रहमत पुत्री बच्चू खां
सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
9. मोहम्मद खां पुत्र कादर खां
10. सखी मोहम्मद उर्फ अखी मोहम्मद पुत्र कादर खां
11. कर्मे खां पुत्र कादर खां फौत के कायम मुकामः -
    11.1. धापू पत्नी कर्मे खां
    11.2. युसुफ खां पुत्र कर्मे खां
    11.3. मेहबू खां पुत्र कर्मे खां
    11.4. राहू खां पुत्र कर्मे खां
    11.5. ईजू पुत्री कर्मे खां पत्नी युसुफ खां, निवासी- सेखासर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
    11.6. अमतू पुत्री कर्मे खां, पत्नी जमालदीन निवासी- सेखासर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
12. दीने खां पुत्र कादर खां
13. आमद खां पुत्र कादर खां

12-2-24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

14. अलारखी पुत्री कादर खां
15. मलूकी पुत्री कादर खां
16. जेनफ पुत्री कादर खां फौत के कायम मुकामः -
    16.1. रईसदीन पुत्र भाई खां
    16.2. रहमतुल्लाह पुत्र भाई खां
    16.3. रमजान खां पुत्र भाई खां
    16.4. गुलाम रसुल पुत्र भाई खां
    16.5. रहमती पुत्री भाई खां
    16.6. जमीला पुत्री भाई खां

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- घटोर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 सितंबर 2020 संशोधित निर्णय दिनांक 14 सितंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप राजस्व मूल वाद संख्या 108/2018 सतार खां व अन्य बनाम मोहम्मद खां इत्यादि**

-------

उपस्थित-
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक से आठ

# नि र्ण य

**दिनांक : 12 फरवरी 2024**

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 108/2018 सतार खां व अन्य बनाम मोहम्मद खा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 सितंबर 2020 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 14 सितंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 25 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार संहिता पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1549 रकबा 11. बिस्वा, 1551 रकबा 67 बीघा 8 बिस्वा, 1557 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, 1561 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा ग्राम घटोर के संबंध में अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना अन्य रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08 सितंबर 2020 को वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से पूर्व विद्वान सहायक कलक्टर बाप ने दावा संख्या 500/2018 में दिनांक 01.06.2018 को विवादित भूमि के विभाजन की डिक्री खातेदार मोहम्मद खां तथा अखी खां के लिए जारी की गई। तब उसी अदालत में उसी भूमि सें संबंधित दुबारा दावा ना तो पेश हो सकता है, न ही चल सकता है जो धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से बाधित होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है। दावा संख्या 500/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01 अगस्त 2018 में मोहम्मद खां के प्राप्त हिस्से में सें अपीलार्थीगण ने कुटुंबी सम्पति में अपने 9 सदस्यों की घोषणा का दावा संख्या 422/2018 प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थीगण को

12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मोहम्मद खां के साथ सामलात में खातेदार काश्तकार घोषित किये गये। उक्त डिक्री भी विद्वान सहायक कलक्टर बाप द्वारा ही पारित की गयी। जिसके बाद प्रत्यर्थी संख्या एक से आठ ने दावा संख्या 108 दिनांक 09.10.2018 को प्रस्तुत किया एवं एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की जो धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों से बाधित है। अधीनस्थ न्यायालय उक्त दावे पर पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री के प्रभाव में रहते प्रसंज्ञान नहीं ले सकता था। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के पूर्वज स्व. कादर खां का देहांत वर्ष 1980 के आस-पास हुआ था। मृतक कादर खां ने अपने पुत्र बच्चू खां दिने खां आदि को वर्तमान ग्राम हनवंत नगर में भूमि खसरा नं. 11/1 रकबा 50 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 11/2 रकबा 7 बीघा अपने जीवनकाल में बंट में दे दी थी तथा उसी भूमि पर आज दिन तक यह काश्त करते आ रहे है। उक्त भूमि में मोहम्मद खां व अखी मोहम्मद को बंट नहीं दिया। जिनको खसरा नं. 1549, 1557, 1551, 1561ा की भूमि बंट में दिया, जहां पर वे काबिज है। प्रत्यर्थी संख्या एक से आठ ने केवल अपीलाधीन वाद अपीलार्थीगण एवं उसके पिता मोहम्मद खां को तंग परेशान करते के लिए प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होने से निरस्त योग्य है। पूर्व में डिक्रीधारी आवश्यक पक्षकार थे तथा उनको पक्षकार बनाये बिना व उनको सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित डिक्री प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2018 के जरिये अपीलांट्स को सहखातेदार घोषित किया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलांट्स को दावे में पक्षकारा संयोजित किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट्स मामले में आवश्यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार होने से

12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्याय हित में उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स को विचारण न्यायालय में दावे में पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उन्हें समय पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में पटवारी हल्का से दिनांक 14.02.2022 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी होने से विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की प्रतिलिपि प्राप्त कर अपीलांट्स द्वारा जानकारी से अंदर म्याद अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 108/2018 सतार खां व अन्य बनाम मोहम्मद खा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 सितंबर 2020 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 14 सितंबर 2021 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा प्रत्यर्थी संख्या एक से आठ का दावा धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत होने व पूर्व न्याय से बाधित होने से निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से आठ ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट अपीलांट्स के पिता मोहम्मद खां एवं प्रत्यर्थी संख्या एक से आठ

12-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

के दादा तथा प्रत्यर्थी संख्या नौ से सोलह के पिता कादर खां पुत्र सुभान खां के नाम दर्ज रही है। कादर खां की फौतेदगी के वक्त नामांतरकरण संख्या 38 के जरिये प्रतिवादी संख्या एक व दो ने पटवारी हल्का से मिलावट करते हुए संपूर्ण आराजी को अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की पुश्तैनी आराजी होने से उसमें मुतवफी कादर खां के सभी वारिसान् का बराबर-बराबर हिस्सा निहित है। अपीलांट्स भी उक्त तथ्य को स्वीकार करते है कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट्स के पिता मोहम्मद खां को पक्षकार संयोजित किया गया है तथा उन पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये जाने के उपरांत भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा चाराजोही नहीं की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट्स के पिता मोहम्मद के वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी आधार पर प्राप्त 1/9 हिस्से में कोई फेरबदल नहीं किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स पिता द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित होने की स्थिति में उनके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में पिता के जीवित रहते अपीलांट्स मामले में हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति कानूनन नहीं दी जा सकती है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी मोहम्मद खां एवं अखी खां द्वारा आपस में मिलावट करते हुए विचारण न्यायालय में बंटवाड़ा का दावा प्रस्तुत कर गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर विभाजन की डिक्री प्राप्त कर ली तथा अपीलांट्स द्वारा उसी राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी खातेदारी की भूमि बताते हुए अपने पिता से राजीनामा के आधार पर अपने पक्ष में डिक्री प्राप्त कर ली। उक्त निर्णय एवं डिक्रीयों के जरिये

12-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या एक से आठ के खातेदारी अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर रेस्पो./वादीगण को अपने पुश्तैनी 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तत अपील अनुमति बाधित, म्याद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2021(1) पेज 19 की न्यायिक नजीर पेश की।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है। प्रकरण के तकनीकी आधार के बजाय गुणावगुण पर निस्तारण हेतु न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक खतौनी ग्राम बाप, तहसील फलोदी जिला जोधपुर संवतः 2025-2028 के खाता संख्या 342 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1551 रकबा 67.08 बीघा, खसरा नं. 1557 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नं. 1561 रकबा 3.6 बीघा एवं खसरा नं. 1549 रकबा 11 बिस्वा वक्त सेटलमेंट कादर खां वल्द सुभान खॉ कौम मुसलमान के नाम से दर्ज रही है। उभय पक्ष द्वारा भी दौराने बहस वादीगण को मुतवफी कादर खां के वारिसान् होना स्वीकार किया है तथा उक्त तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, जिसकी ताईद उक्त खतौनी बंदोबस्त से होती है।

12-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वक्त सेटलमेंट वादग्रस्त आराजी कादर खां पुत्र सुभान खां के नाम दर्ज रहने से वादग्रस्त आराजी में कानूनन मुतवफी कादर खां के सभी वारिसान् का समान हक-हिस्सा निहित है। कादर खां पुत्र सुभान खां की फौतेदगी पर भरा गया नामांतरकरण संख्या 38 केवल उनके दो पुत्रो मोहम्मद खां एवं सखी के नाम ही भरा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

**जहां तक अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का प्रश्न है,** विचारण न्यायालय में दावे में अपीलांट्स के पिता मोहम्मद खां को बतौर प्रतिवादी संयोजित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी मोहम्मद खां सम्मन की सम्यक तामील करवाये जाने के उपरांत भी वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार मुतवफी कादर खां की आराजी में सें वादीगण को उनके पुश्तैनी 1/9 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया है। उक्त निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित होने की दशा में अपीलांट्स के पिता द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

अपीलांट्स का उज्र है कि अपीलांट्स के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2018 के जरिये सहखातेदार घोषित किया गया है तथा धारा 11 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में अदालत हाजा का मत है कि पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29. 06.2018 एवं 01.06.2018 नामांतकरण संख्या 38 के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज के आधार पर पारित की गई है जो वादीगण/रेस्पो. के

12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पुश्तैनी भूमि में खातेदारी अधिकारों पर अतिक्रमण करने से उक्त निर्णय एवं डिक्रीयों के आधार पर धारा 11 सीपीसी के प्रावधान मामले में लागू नहीं होते है। **प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मत प्रतिपादित किया है कि किसी भी अजनबी को किसी भी कार्यवाही में अपील दायर करने की अनुमति नही दी जा सकती है, तब तक कि वह अदालत को संतुष्ठ नहीं कर देता है कि वह पीड़ित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है।** हस्तगत मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो./प्रतिवादी मोहम्मद खां के वादग्रस्त आराजी में पुश्तैनी 1/9 हिस्से फेरबदल नहीं करने तथा अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 108/2018 सतार खां व अन्य बनाम मोहम्मद खा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 सितंबर 2020 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 14 सितंबर 2021 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12-2-24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

# डिकी बसीगे अपील

## अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-68RAAJodhpur2022-22RTA223 Gulam Rasul ors Vs Satar Khan etc

**अपीलाण्ट**

01. गुलाम रसुल पुत्र मोहम्मद खां
02. रईश दीन पुत्र मोहम्मद खां
03. जमालदीन पुत्र मोहम्मद खां
04. रमजे खां पुत्र मोहम्मद खां
05. अजमतुल्ला पुत्र मोहम्मद खां

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- घटोर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

**ब ना म**

**रेस्पोडेण्ट**

1. सतार खां पुत्र बच्चू खां
2. रमजान खां पुत्र बच्चू खां
3. सरादीन पुत्र बच्चू खां
4. मोहम्मद इस्माईल पुत्र बच्चू खां
5. हुमारदीन पुत्र बच्चू खां
6. सिकन्दर पुत्र बच्चू खां
7. हतु पुत्री बच्चू खां
8. रहमत पुत्री बच्चू खां
   सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
9. मोहम्मद खां पुत्र कादर खां
10. सखी मोहम्मद उर्फ अखी मोहम्मद पुत्र कादर खां
11. कमें खां पुत्र कादर खां फौत के कायम मुकामः -
    11.1. धापू पत्नी कमें खां
    11.2. युसुफ खां पुत्र कमें खां
    11.3. मेहबू खां पुत्र कमें खां
    11.4. राहू खां पुत्र कमें खां
    11.5. ईजू पुत्री कमें खां पत्नी युसुफ खां, निवासी- सेखासर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
    11.6. अमतू पुत्री कमें

12-2-24

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खां, पत्नी जमालदीन निवासी- सेखासर, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

12. दीने खां पुत्र कादर खां
13. आमद खां पुत्र कादर खां
14. अलारखी पुत्री कादर खां
15. मलूकी पुत्री कादर खां
16. जेनफ पुत्री कादर खां फौत के कायम मुकामः -
    - 16.1. रईसदीन पुत्र भाई खां
    - 16.2. रहमतुल्लाह पुत्र भाई खां
    - 16.3. रमजान खां पुत्र भाई खां
    - 16.4. गुलाम रसुल पुत्र भाई खां
    - 16.5. रहमती पुत्री भाई खां
    - 16.6. जमीला पुत्री भाई खां

सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- घटोर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08 सितंबर 2020 संशोधित निर्णय दिनांक 14 सितंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाप राजस्व मूल वाद संख्या 108/2018 सतार खां व अन्य बनाम मोहम्मद खां इत्यादि**

-------

## दावा बाबत

यह अपील बतारीख 12 फरवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 108/2018 सतार खां व अन्य बनाम मोहम्मद खा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री

12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 08 सितंबर 2020 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 14 सितंबर 2021 यथावत यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 12 फरवरी 2024 को जारी किया गया।

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## खर्चा अपील

| अपीलाण्ट | राशि | रेस्पोडेण्ट | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील | | 1. स्टाम्प वकलातनामा | |
| 2. स्टाम्प वकालतनाम | | 2. स्टाम्प अर्जी | |
| 3. इजराय हुक्मनामा | | 3. इजराम हुक्मनामा | |
| 4. वकील फीस बाबत | | 4. मेहनताना वकील | |
| मीजान | | मीजान | |

12.2.24

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर